

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602853

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर (मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00074

श्रेणी : 1-क भूमि जो संकमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
650मि	1) लक्ष्मण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / 2) रास्ता	1) अन्य / 1478 / 02-07-2008 / विक्रय 2) अन्य / 362 / 28-08-2009 / विक्रय 3) अन्य / 218 / 28-05-2010 / विक्रय 4) अन्य / 1002 / 15-10-2025 / विनिमय	1384फ	650मि(1151920650200112)	0.1940	1) - 2) -	1) 0.1040 2) 0.0900	9.30
							0.1940	

कुल गाटा - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.1940 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.30 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1940)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) अन्य / 1478 / 02-07-2008 / विक्रय / RAM SINGH RAWAT / 06-05-2025 2) अन्य / 362 / 28-08-2009 / विक्रय / RAM SINGH RAWAT / 06-05-2025 3) अन्य / 218 / 28-05-2010 / विक्रय / RAM SINGH RAWAT /	1.1) चन्द्रसेन / जेट्ट / नि.मिलक शोला सिंह (जाटव) (थोप क्षेत्रफल : 0.1293) 2.1) श्रीमती प्रमोद कुमारी /	650मि(1151920650200112)	1.1) 0.0647 2.1) 0.0647 3.1)	1.1) श्रीमती प्रमोद कुमारी / पत्नी रामसेवक / नि.मकान नं.13 राजकीय आदर्श कालोनी निकट पी.ए.सी. 23 वटालियन मुरादाबाद	650मि(1151920650200112)	1.1) 0.0647 2.1) 0.0647 3.1)

8393.52व0मी0मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसकेपास कुल भवन सहित 2889.60व0मी0भूमि होती है

8) अतःभूधारक की 889.60व0मी0भूमि अतिरिक्त घोषितकी जाती है जो गाटा सं.650से अभ्यर्पित की जायेगीतदानुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय । ह0आर0के0दि3.11.08

9) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार नगर, मुरादाबाद वाद सं.362/09/28.8.09को आदेश हुआ कि खाता सं.83के गाटा सं.650मि रकबा 0.194हे0लगान भागानुसार मे से 0.16एकड़ से विक्रेता श्रीमती प्रमोद कुमारी पत्नी रामसेवक सिंह निवासी म0न013 आदर्श कालोनी निकट पी0ए0सी0मुरादाबाद का नाम

10) खारिज करके उसके स्थान पर क्रेता उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम बजरिये बैनामा दर्ज हो ह0आर.के...30.10.09

11) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार (न्यायिक), मुरादाबाद द्वारा वाद सं.218/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं.83के खसरा नं.650मि/0.194हे0लगान बमुजिब खतौनी के बकदर भाग से विक्रेता चन्द्र सेन पुत्र जेट्टू नि0ग्राम मिलक भोला सिंह सोनकपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम

12) खारिज होकर क्रेता उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम बजरिये बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0दि16.6.10

13) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद वाद सं.784/23.4.11 को आदेश हुआ कि खाता सं.83 के खसरा नं.844 रकबा 0.065हे0के पूर्ण भाग (0.065हे0)से विक्रेता राम सेवक सिंह पुत्र करन सिंह निवासी राजकीय आदर्श कालोनी निकट पी0ए0सी0 मुरादाबाद का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर क्रेता

14) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम बजरिये बैनामा दर्ज हो ह0आर.के..1.6.11

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT(RAGISTRAR KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 12-02-2026 02:35:18 तहसील : मुरादाबाद

यह संपरण सर्वोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार की गयी है तथा इसका डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है।

मुद्रित कर्ता : H SHAR BHAI NAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 02:35:18

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त संपरण खतौनी का वेरीफिकेशन <https://upbhubkhi.gov.in/Website> पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602854

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
650मि	11 अतिरिक्त घोषित भूमि -- --			650मि(1151920650200242)	0.0890	1/1/1	1/0.0890	6.97
							0.0890	

कुल गाटे : कुल क्षेत्रफल - 0.0890 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 6.97 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0890) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		650मि(1151920650200242)			650मि(1151920650200242)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/201सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा० नि० पाकवड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर सशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपड मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं 263मि/2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रू के बकदर
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरासिंह पुत्र रामसरनसिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि/0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह .ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि =2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह० व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व०ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि/0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व०राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 2.20B/न.भू.सी./2001दि. 2.3.01के अन्तर्गत वाद स्. 2.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा स्. 336मि/1983.03वर्ग मी.गाटा स्. 263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकवड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता स्. 370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनाक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि 0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनाक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग. गंगाराम उर्फ गजराव व कु व. रिसेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्र य पत्र ग. गंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव० विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कें चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि/ 0.221है० मे से 0.202भाग से ग. गंगाराम उर्फ गजराव
- 22) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी नि०सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती कें चन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह०आरा०के ०दिनाक 31-1-07

- 23) 1409फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक सू. 1323/न.भू.सी./2001दि.14.5.01 सू. 10890/न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमित अधिनियम 1976की धारा -6(1)के अन्तर्गत भू धारिका श्रीमती कमला वृह पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरादाबाद सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा सू. 10355के 1-2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक सू. 10235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू. 1.90मि 1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.516मि 1144.72वर्ग मी.कु ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वादसू. 1.1448
- 5011 में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सू. 1.90मि रकवा 1423.20वर्ग मी0कु ल 2567.92वर्ग मी0भूमि पर तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकार में पक्ष में कब्जा लिया गया 1 अत-उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305.944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेटू में गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40वर्ग मी0व647.52वर्ग मी0अर्थात कुल 5503.92वर्ग मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी0में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60वर्ग मी0भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60वर्ग मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय 1 ह0आर0के0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक 114/न0 भू0सी0/03दि.28.5.03के अन्तर्गत सीलिंग वाद सू. 1.1532 5019में दायर अपील में माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सू. 1.6729 97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण सू. 1.6729 97माननीय न्यायालय के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व0श्री रामचन्द्र नि0हरथला के नाम दर्ज हो ग्राम का नाम/गाटा सू. 1.90/क्षेत्रफल वर्ग मी0मेक्रम सू. 1.1-ग्राम मऊ गाटा सू. 1.516मि रकवा 1144.72वर्ग मी0व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा सू. 1.90मि रकवा 1443.83वर्ग मी0कुल 2किता रकवा 2588.55वर्ग
- 35) मी0 ह0आर0के07.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486हे0लगानी बमुजिब . खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसैन पुत्र स्व0जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स0भू0के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात मृतक शेर सिंह .पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95सं0भू0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह0आर.के. 5.6.09
- 39) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08धारा 219एल0आर0एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय 1 अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07एवं अपील सं.26/123उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय 1 तब तक प्रतिपक्षी सं.1भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है 1 ह0आर0के0दि25.7.09
- 42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/ न0भू0सी0/08दिनांक 3.10.08के अन्तर्गत शासन देश स.513/उन्चास-152(47)यू0सी0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई /तत्पश्च्छ्वा सक्षम प्राधि कारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटास.879से

- 43) 87व0मी0गाटा स्. 873से 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के द्वारा निरसन अधिनियम 1999के अनुसार वाद पत्राक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 879/ 8943.87व0मी0गाटा सं. 873 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद मे गाटा स्. 879/ 8947.87 व0मी0व गाटा सं. 873रकबा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी पत्रांक 217 वी0दिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 मे अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 873/654.44व0मी0के
- 46) स्थान पर 1059.14व0मी0सही पढा जाय । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अत्रगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मे धारा 10(3)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अत्रगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 व0मी0गाटा सं. 541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के 05.5.10
- 49) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0 वाद स्. 455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सैन पुत्र स्व0जेठू नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरियै वनामा दर्ज हो ह0आर0के 016.6.10
- 51) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा0वाद स्. 117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता स्. 385 के गाटा स्. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रेता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरियै वनामा दर्ज हो ह0आर0के 027.7.10
- 53) 1418फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद स्. 77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि. 18.6.10के अत्रगत मे हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार मे तहसील आख्या / सस्तुति के आधार पर खाता स्. 30गाटा स्. 566/0.028 का 1/2भाग एंव खाता स्. 385 के गाटा स्. 538मि/0.113
- 54) 541 0.065हे को अकृ षिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31/820/454/2011-12धारा 34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं. 371 गाटा सं. 263/2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम . मु0पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्रगत वाद मे वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृ षि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है . उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है . ह0आर.के...1.4.2013
- 58) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट संख्या 35789- 2011ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं. 669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकित है . जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये . शासनादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग के वल कृ षि के लिये कि या जायेगा . 2- भूमि प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा . परन्तु कृ षक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा . 3- कृ षक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक . वित्तीय संस्था अथवा . केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा. ह0आर.के...2.12.2014
- 62) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T2151354014307 आदेश दि. 24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं. 371 के गाटासं. 263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित त मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0ओमप्रकाश नि0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं0भू0के रूप मे अंकित त हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि. 12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर.के 031.8.15
- 64) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0T20151354014413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि. 28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि वनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खातासं. 371के खसरासं. 263/1 रकवई 0.2020हे. अर्थात 2020.00वर्ग

- 65) मीटर लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15
- 66) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विके ता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर क्रेता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवर्तिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो ा ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. T20141354015892 आदेश दि.15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जबख्खा निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316 1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है .जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे , अमलदरामद कि या गया , लेकिन न प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है. ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41 वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें . ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्खा निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315 1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों. ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे 0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज हे सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 3080व0मी0भूमि जिरापर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो ा के स्थान पर श्री अख्तर ,मटरू एवं श्री मुख्खार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो । ह0आर0के0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ

- के खाता सं० 371 के खसरा नं० 263/1 रकबई 0.2020 है अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमूजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16
- 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या टी 2016130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह०आर०के०दि 08-03-17
- 82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 /मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकबई 4168-11 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि 08-03-17
- 83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबादके आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये हैं तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज है के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह०आर०के०दि 24-3-17
- 84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं टी 201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे ह०आर०के०दि 19-02-18
- 85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.2020 है अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है, इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के०दि 19/05/2018
- 86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह०आर०के०दि 28.12.2020

Data Digitally Signed by: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक समय/स्थान 12-02-2026 02:35:27 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण खमानी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा किया गया है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHAINAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 02:35:27

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खमानी का वेरीफिकेशन <https://upbhubk.kh.gov.in/Website> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

संख्या- 1002/जिउमूव्योसाहा/2024-25

दिनांक- 15-10-2025

विषय-

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सौनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम ससांज भूमि का, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि से विनिमय किये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव,


मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

मुरादाबाद।

कृपया उपर्युक्त विषयक भाषुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के निर्णय/स्वीकृति पत्र संख्या 869/आठ-28 (2024-25)/राजस्व-प्रथम, दिनांक 13.10.2025 के क्रम में, ग्राम सौनकपुर, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद स्थित ग्राम ससांज की भूमि का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि से श्रेणी परिवर्तन/विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित भूमि विनिमय के सापेक्ष घनराशि रूपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक '0029-मुराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां' में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व जमा की जानी है।

अतएव आयुक्त महोदय का निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विनिमय के सापेक्ष घनराशि रूपये 24,61,700/- (चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) नियमानुसार लेखा शीर्षक '0029-मुराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां' में जमा कराते हुए जमा चालान की एक प्रति उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद व एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त विनिमय का राजस्व अभिलेखों में अमलदखल कराया जा सके।

संलग्न-शुद्धोक्त।


(गुलाब चन्द)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक-शुद्धोक्त।

प्रतिलिपि- उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद को आयुक्त महोदय के उक्त निर्णय/स्वीकृति पत्र दिनांक 13.10.2025 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्राधिकरण से चालान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात उक्त निर्णय का अमलदखल राजस्व अभिलेखों में कराकर उद्धरण खतानियों की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मुरादाबाद।

निर्णय / स्वीकृति

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र सं०-१०१/जि०भू०व्य०स०/पुन०/2025-26 दिनांक 2१-०१-2025 संशोधित के माध्यम से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत चाने वाली ग्राम समाज की ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की भूमि गाटा सं०-६74मि० रकबा 0.3080है० में से 0.2280है० व गाटा सं०-६76मि० रकबा 0.4660है० में से 0.2500है० अर्थात् कुल 0.4780है० भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-६(2) रास्ता के रूप में दर्ज है, जो प्राधिकरण की योजना के बाउन्ड्री के अन्दर आरम्भ तो हो रही है, परन्तु समाप्त नहीं हो रही है, का ग्राम सोनकपुर/सहयाद्रि आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा कय की गयी भूमि गाटा सं०-६45अ रकबा 0.1130है० में से 0.0140है०, गाटा सं०-६47 रकबा 0.5100है० के अपने बकदर भाग 0.4780है० में से 0.0940है०, गाटा सं०-६49 रकबा 0.2790है० में से 0.0440है०, गाटा सं०-६50मि० रकबा 0.1940है० में से 0.0900है०, गाटा सं०-६64अ रकबा 0.2310है० में से 0.1210है०, गाटा सं०-६६5मि० रकबा 0.0360है० में से 0.0210है०, गाटा सं०-६86 रकबा 0.0120है० में से 0.0050है०, गाटा सं०-६88 रकबा 0.1210है० में से 0.0210है०, गाटा सं०-६89 रकबा 0.1940है० में से 0.0500है० एवं गाटा सं०-६95 रकबा 0.1820है० में से 0.0180है० अर्थात् कुल 10 किता रकबा 0.4780है०, जो वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1(क) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, से किये जाने हेतु विनिमय प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

उक्त विनिमय प्रस्ताव के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर गठित परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 06-10-2025 को अपर आयुक्त-द्वितीय के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06-10-2025 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लिखित किया है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उल्लिखित किया है कि श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के किसी भाग पर कब्रिस्तान, शमशान या अन्य धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग नहीं है अथवा अन्य कार्य के लिये भी सुरक्षित नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमियों के विनिमय से धार्मिक उत्तेजना की आशंका है। क्षेत्रवासियों के सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। उपरोक्त विनिमय किए जाने से क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाटा सं०-६47 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य सहखातेदार हैं, सभी सहखातेदारों का मौके पर विभाजन है तथा अपने-अपने भाग पर काबिज है। मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद स्थित श्रेणी-६(2) रास्ते की भूमि गाटा सं०-६74मि० रकबा 0.3080है० में से 0.2280है० व गाटा सं०-६76मि० रकबा 0.4660है० में से 0.2500है० अर्थात् कुल 0.4780है० की प्रचलित दर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रूपये 2,06,00,000/- (रूपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रूपये 98,46,800/- (रूपये अठानवें लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित श्रेणी-1(क) भूमि गाटा सं०-६45अ रकबा 0.1130है० में से 0.0140है०, गाटा सं०-६47 रकबा 0.5100है० के अपने बकदर भाग 0.4780है० में से 0.0940है०, गाटा सं०-६49 रकबा 0.2790है० में से 0.0440है०, गाटा सं०-६50मि० रकबा 0.1940है० में से 0.0900है०, —


...2पर



गाटा सं०-६६४३३ रकबा ०.२३१०६० में से ०.१२१०६०, गाटा सं०-६६६५१० रकबा ०.०३६०६० में से ०.०२१०६०, गाटा सं०-६६८ रकबा ०.०१२०६० में से ०.००६०६०, गाटा सं०-६६८ रकबा ०.१२१०६० में से ०.०२१०६०, गाटा सं०-६६९ रकबा ०.१९४०६० में से ०.०५००६० एवं गाटा सं०-६९५ रकबा ०.१८२०६० में से ०.०१८०६० अर्थात् कुल १० किता कुल रकबा ०.४७८०६० की प्रचलित वर जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के आधार पर रुपये २,०६,००,०००/- (रुपये दो करोड़ छः लाख) प्रति हेक्टेयर के अनुसार रुपये ९८,४६,८००/- (रुपये अठानवे लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) आगणित की गयी है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि प्रबन्धक समिति, सोनकपुर द्वारा भी कृषकों के हितों को दृष्टिकोण रखते हुए विनिमय किये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव पारित किया गया है। श्रेणी परिवर्तन/विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये लोक उपयोगिता और उपयुक्तता प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि उक्त विनिमय जनहित में उपयोगी और उपयुक्त है तथा ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि का सम्पर्क मार्ग भी उपयुक्त है एवं भविष्य में स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक उपयोग करने में कोई बाधा नहीं होगी। परीक्षण समिति का मन्तव्य है कि जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया उक्त विनिमय प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सोनकपुर आवासीय योजना के विकास हेतु किया जा रहा है, जो जनहित में है। इसलिये उक्त विनिमय को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त विनिमय शासकीय कार्यहित में किया जाना उचित प्रतीत होता है, की आख्या दी गयी है।”

अतः मैं, आज्ञनेय कुमार सिंह मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त श्रेणी परिवर्तन/विनिमय प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-१, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं०-३२/७४४/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ एवं शासनादेश सं०-३२/७४५/एक-१-२०१६-२० (५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ तथा शासन की अधिसूचना सं०-१५/२०२३/७३१/एक-१-२०२३-१-१०९९/३४/२०२३, दिनांक ०३.०८.२०२३ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामसमाज की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद एवं संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की भूमि ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला-मुरादाबाद की निम्न तालिका में अंकित भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर विनिमय किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करता हूँ कि संस्था भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेगी तथा शासनादेश सं०-३२/७४५/एक-१-२०१६-२०(५)/२०१६ दिनांक ०३ जून, २०१६ में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद कलेक्टर द्वारा विनिमय में सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित की गयी घनराशि रुपये ९८,४६,८००/- का २५ प्रतिशत के बराबर घनराशि अर्थात् रुपये २४,६१,७००/- (रुपये चौबीस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र) लेखा शीर्षक "००२९-भूराजस्व-८००-अन्य प्राप्तियों-०८-मालिकाना राजस्व-०८०६-प्रकीर्ण प्राप्तियों" में भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व कलेक्टर द्वारा जमा कराया जायेगा।

...३पर



श्रेणी परिवर्तन/विनिमय तालिका

क्र. सं.	विनिमय में दी जानी वाली भूमि				विनिमय में ली जानी वाली भूमि			
	श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नद्वैयता	गाटा सं०	रकबा (हे० मी)	प्रमादित क्षेत्रफल (हे० मी)	श्रेणी परिवर्तन पूर्व भूमि की नद्वैयता	गाटा सं०	रकबा (हे० मी)	प्रमादित क्षेत्रफल (हे० मी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	874मि०	0.3080	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	845अ	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	876मि०	0.4860	0.2600	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	847	0.8100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	849	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	850मि	0.1940	0.0600
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	864अ	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	865मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	868	0.0120	0.0050
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	868	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	889	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	895	0.1820	0.0180
	02 किता	-	-	0.4780	10 किता	-	-	0.4780
क्र. सं.	श्रेणी परिवर्तन उपररंभ भूमि की नद्वैयता	गाटा सं०	रकबा (हे० मी)	श्रेणी परिवर्तन से प्रमादित क्षेत्रफल (हे० मी)	श्रेणी परिवर्तन उपररंभ भूमि की नद्वैयता	गाटा सं०	रकबा (हे० मी)	श्रेणी परिवर्तन से प्रमादित क्षेत्रफल (हे० मी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	874मि०	0.3080	0.2280	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	845अ	0.1130	0.0140
2	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-1(क)	876मि०	0.4860	0.2500	ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	847	0.8100	0.0940
3					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	849	0.2790	0.0440
4					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	850मि	0.1940	0.0600
5					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	864अ	0.2310	0.1210
6					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	865मि	0.0360	0.0210
7					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	868	0.0120	0.0050
8					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	868	0.1210	0.0210
9					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	889	0.1940	0.0500
10					ग्राम सोनकपुर श्रेणी-8(2) रास्ता	895	0.1820	0.0180
	02 किता	-	-	0.4780	10 किता	-	-	0.4780

जिलाधिकारी, मुरादाबाद तदनुसार राजस्व अभिलेखों में संशोधन करना सुनिश्चित करें।

(आरुजनेय कुमार सिंह)
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

सं० 89 / आठ-28 (2024-25) रा० सहा०-प्रथम दिनांक: 13 / 10 / 2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र०, अनुभाग-5, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इत्त निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण करें।
- 4- सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

आयुक्त।